चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 29.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 29.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 29.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में उपस्थित सभी टोलियों/रिक्रूट आरक्षियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ,तत्पर और अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराए गए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड की दौड़ करायी गयी, परेड निरीक्षण के दौरान अधि0/कर्मचारीगण का टर्न आउट चेक किया गया तथा परेड ग्राउण्ड में उपस्थित सभी टोलियों की ड्रिल देखी गयी एवं सुधार हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया तथा परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुशासन, एकरूपता और कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में बताया गया। परेड ग्राउंड में आर्मोरर द्वारा शस्त्रों का खोलने जोड़ने व हैन्डलिंग की जानकारी दी गयी।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा जाकर थानों से आयी समस्त चार/दो पहिया वाहनों, 112 पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) वाहनों तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों/थानों के वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को मरम्मत हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तथा डायल 112 कार्यालय,आवास परिसर, आरटीसी बैरिक, सीपीसी कैंटीन,मंदिर,भोजनालय, आर्मरी का निरीक्षण किया तथा साफ सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। क्वार्टर गार्द का निरीक्षण कर सलामी ली गयी साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश-कक्ष में जाकर पुलिस कर्मियों का अर्दली रुम किया गया।
इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविंद कुमार वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक राम शीष यादव,आरटीसी प्रभारी प्रदीप कुमार यादव, पीआरओ श्री प्रदीप पाल व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियो के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम ने 04 अभियुक्त को चोरी की मोटर साईकिल सहित 60 किलोग्राम लोहे की पुल्ली के साथ गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.08.2025 को वादी पंकज गुप्ता पुत्र रामआसरे गुप्ता निवासी सर्राफा बाजार बल्दाऊगंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दिया गया कि दिनांक 24.08.2025 की रात्रि में दुकान के सामने रखे लोहे की पुल्ली वजन करीब 150 किलोग्राम को अज्ञात चोरों द्वारा नीले रंग के ई-रिक्शा पर लादकर चोरी कर ले जाना। इस सूचना पर मु0अ0सं0 544/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर व नीले रंग का ई-रिक्शा पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा चोरी की घटना के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को निर्देशित किया गया था। आज दिनांक 29.08.2025 को उ0नि0 श्री संत प्रसाद एवं उनकी टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि आपके मुकदमें से सम्बन्धित कुछ लोग नीले रंग की ई-रिक्शा से व एक मोटर साइकिल के साथ पहाड़ी की ओर रोड के किनारे खड़े होकर कही जाने की फिराक में है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए बताये हुये स्थान की ओर चल दिये कि जैसे निषाद ढ़ाबा के पास पहुंचे ही थे कि कुछ लोग गाड़ी की रोशनी में सड़क पटरी पर ई-रिक्शा के बगल एक मोटर साइकिल सवार से कुछ बाते कर रहे है। थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा हिकमत अमली का प्रयोग करते हुए चारों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूंछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो 1. पुष्पेन्द्र निषाद पुत्र स्व0 बच्चा निषाद निवासी कुली तलैया सोनेपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2. बाले पटेल पुत्र श्री बुद्धू पटेल निवासी पासी तिराहा सोनेपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 3. अमित यादव पुत्र देशराज यादव निवासी ग्राम चकमाली सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 4.विजय उर्फ रिंकू पुत्र बिट्टी निषाद निवासी सिंचाई विभाग के बगल बहादुरपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद

चित्रकूट बताया । मोटर साइकिल के बारे में पूछा गया तो विजय उर्फ रिंकू ने बताया कि यह मोटर साइकिल मैनें बांदा जिले से चुराया था । मोटर साइकिल स्पेलेण्डर प्लस का निरीक्षण किया गया तो नम्बर प्लेट नही है। मो0सा0 का इंजन नं0 व चेचिस नं0 स्पष्ट पठनीय नही हैं। पकड़े गये व्यक्तियों से ई-रिक्शा के बारे में पूछा गया तो पुष्पेन्द्र निषाद द्वारा बताया गया कि यह ई-रिक्शा हमने अभी नया खरीदा है जिसके कागजात अभी एजेन्सी में है। ई-रिक्शा की तलाशी ली गयी तो सफेद रंग की बोरी की पल्ली से ढका हुआ 06 नग छोटे बड़े लोहे की पुल्ली कुल 60 किलोग्राम सकरी से बधी है। लोहे की पुल्ली के बारे में पूंछा गया तो इधर-उधर की बाते करते हुए बताया गया कि सर्राफा बाजार बल्दाऊगंज कर्वी से इसी ई-रिक्शा को ले जाकर लोहे की पुल्ली चोरी कर लिये थे । वादी पंकज गुप्ता से सम्पर्क कर पहचान करायी गयी तो बताये कि यही लोहे की पुल्ली है जो चोरी हुआ था। इस पर कारण गिरफ्तारी बताते हुए आज दिनांक 29.08.2025 को समय करीब 01.00 ए0एम0 बजे उपरोक्त लोगों को गिरफ्तार किया गया। बरामद चोरी की मोटर साइकिल के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी मु0अ0सं0 552/2025 धारा 317(2) बीएनएएस व 35 बीएनएसएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा को अन्तर्गत धारा 207 एम0वी0 एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. पुष्पेन्द्र निषाद पुत्र स्व0 बच्चा निषाद निवासी कुली तलैया सोनेपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
2. बाले पटेल पुत्र श्री बुद्धू पटेल निवासी पासी तिराहा सोनेपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
3. अमित यादव पुत्र देशराज यादव निवासी ग्राम चकमाली सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
4. विजय उर्फ रिंकू पुत्र बिट्टी निषाद निवासी सिंचाई विभाग के बगल बहादुरपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

बरामदगी-

मोटर साइकिल स्पेलेण्डर प्लस

ई-रिक्सा नीले रंग का

60 किलोग्राम पुल्ली

गिरफ्तार करने बाली कोतवाली कर्वी टीम –

1. उ0नि0 श्री सन्त प्रसाद
2. आरक्षी राहुल देव
3. आरक्षी अजय तिवारी
4. आरक्षी महेन्द्र शुक्ला

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार , प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता गोपालदास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायालय एण्टी डकैती कोर्ट एएसजे द्वितीय श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 182/15 धारा 148,386,323,149,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त लवलेश कोल पुत्र कल्लू कोल निवासी निही चिरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 06.12.2015 को वादी प्रेमनारायन यादव पुत्र मोहन यादव निवासी कल्याणपुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मानिकपुर पर प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे चाचा देवनारायन यादव पुत्र छोटा यादव एवं राम प्रसाद कोल पुत्र चुनवाद कोल निवासी कल्याणपुर जो वन विभाग में अस्थायी वाचमैन थे समय करीब 2.30 बजे दिन को मेरे चाचा देवनारायन और रामप्रसाद कोल सिरसहा नाला कल्याणपुर के पास पौधों का प्लानटेशन (वृक्ष रोपण) वन विभाग की तरफ से कर रहे थे कि अचानक 7,8 बदमाश असलहा लिए आए और कहा कि हमारा वन विभाग प्लानटेशन (वृक्षारोपण) का पैसा नही मिला और लोगों को बुरी तरीके से लाठी डंडा और बन्दूक की बट से मारा है और कहा कि जब तक हमारा हिस्सा नही दोगे तो कार्य नहीं करने देगे और इसी बात को लेकर मारपीट,गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहे थे उन्ही में से एक बदमाश जो अपना नाम लवलेश कोल बता रहा था। इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 182/15 धारा 148,386,323,149,504,506 भादवि0 पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 विजय सिंह भदौरिया द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा दिनाँक 28.11.016 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।